न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 38/2019

सुवाराम उर्फ सुखा पुत्र रामसुख उर्फ रामसुखा जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रार्थी

बनाम

1. काना पुत्र रामसुख जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं.धारा 136 रा.भू—राजस्व अधिनियम की घोषणा व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

वकील प्रार्थी —श्री सज्जन चाहर
वकील अप्रार्थी —राज0 परोकार तहसीलदार नवलगढ

आदेश

निर्णय तिथि 01.08.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित खाता सं0 93 के ख.न. 1726/1.33, 1750/1.11 किता 2 कुल रकबा 2.44 है0 स्थित है। उपरोक्त भूमि पैत्रिक है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियो ने गलती से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुवाराम की जगह सुखा तथा प्रार्थी के पिता का नाम रामसुख की जगह रामसुखा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जो कि गलत दर्ज कर दिया जिसको संशोधन करवाने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का वास्तविक नाम सुवाराम है, प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रामसुख है। समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम सुवाराम तथा पिता का नाम रामसुख ही दर्ज है प्रार्थी को इस बात का पता नही था कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुवाराम की जगह सुखा तथा पिता का नाम रामसुख की जगह रामसुखा चल रहा है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। इसलिये उक्त राजस्व रिकार्ड में सुखा के स्थान पर सुवाराम व पिता का नाम रामसुखा के स्थान पर सुखराम नाम दर्ज करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित खाता सं0 नया 93 के ख.न. 1726/1.33, 1750/1.11 किता 2 कुल रकबा 2.44 है0 जिमसें राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुखा के स्थान पर सुवाराम व पिता का नाम रामसुखा की जगह रामसुख राजस्व रिकार्ड का दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ तथा वर्णित किया गया कि वादग्रस्त भूमि में सुवाराम उर्फ सुवा का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सुवाराम है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रामसुख है समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में प्रार्थी का नाम सुवाराम तथा पिता का नाम रामसुख ही दर्ज है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। इसलिये उक्त राजस्व रिकार्ड में सुखा के स्थान पर सुवाराम व पिता का नाम रामसुखा के स्थान पर रामसुख दर्ज किया जाना उचित है।

अप्रार्थी नं. 2 राजपैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में सुवाराम पुत्र रामसुख दर्ज है। ग्राम खिरोड में आम लोगों से की गई पूछताछ एवं ली गई जानकारी के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

खा पुत्र रामसुख का सही नाम सुवाराम पुत्र रामसुख के नाम से ही जाना जाता है। अतः सुखा पुत्र रामसुख का सही नाम सुवाराम पुत्र रामसुख ही होना अंकित किया गया है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम खिरोड संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 1726/1.33, 750/1.11 किता 2 कुल रकबा 2.44 है0 की खातेदारी घासी सुखा रामेश्वर काना पि0 रामसुखा हि.ब. जाति रैगर सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबाब राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का सही नाम सुवाराम पुत्र रामसुख होना अंकित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, तथा बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड की पासबुक आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सुवाराम पुत्र रामसुख दर्ज होना साबित है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार व प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम खिरोड की भूमि ख.न. 1726/1.33, 750/1.11 किता 2 कुल रकबा 2.44 है0 में सुखा पुत्र रामसुखा के स्थान पर सुवाराम पुत्र रामसुख है0 1/4 जाति रैगर नाम दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है के मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner